न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 519 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 देवाराम 2 किरपाराम पिसरान पूनमाराम 3 सीरीयों देवी पत्नी पूनमाराम 4 जेठाराम 5 बाबूराम 6 मांगीलाल 7 खरथाराम पिसरान कूम्पाराम 8 नेनूदेवी पत्नी कूम्पाराम 9 मदन उर्फ पदमाराम 10 प्रकाश 11 ईसा उर्फ ईश्वर पिसरान डामराराम 12 रेखाराम 13 राउराम पिसरान दीपाराम 14 सुशीया पत्नी दीपाराम जातियान मेघवाल निवासीयान मुरटाला गाला तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, वकील प्रार्थीगण पक्ष।
2. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 27.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी भूमि मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 877 रकबा 10.6432 हैक्टेयर की आई हुई है। विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैतृक एंव पुश्तैनी भूमि थी जो प्रार्थीगण से पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज थी। एंव वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। वक्त सेटलमेंट से प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि खसरा संख्या 877 का नक्शा जिस दशा व आकृति में था जिसको बिना किसी सक्षम आदेश के वर्तमान में भिन्न दशा व अवस्था की तरमीत कर दी गई है। वक्त सेटलमेंट से लेकर दिनांक 15.12.2016 तक संस्थित राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा सही व वास्तविक था, लेकिन हाल ही में राजस्व रेकर्ड का सम्पूर्ण डाटा ऑनलाईन करने के समय DILRMP प्रोजेक्ट के दौरान प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का नक्शे में परिवर्तन कर दिया गया हैं। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 877 के सेढे पर स्थित खसरा सं0 2584 / 2111 के मध्य से एक डामर सड़क गुजरती है उक्त सड़क व प्रार्थीगण के खसरे के मध्य एक नए खसरा संख्या 2519 / 1068 की तरमीम कर दी गई है, जो भौतिक रूप से व वास्तविक रूप वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक मौके पर नहीं है लेकिन राजस्व रेकर्ड में ऑनलाईन प्रोजेक्ट के दौरान सहवन वश गलत तरमीन का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में कर दिया है जिसे दुरूस्त किए जाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 877 के सेढे पर स्थित अन्य खसरा संख्या 1066 की सीमा जो कि राजस्व नक्शे में वक्त सेटलमेंट से सीधी थी जिसे अब तिकोना आकार देकर ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड में नक्शे का स्वरूप बदल दिया है। इस प्रकार बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा संख्या 877 की भूमि के राजस्व नक्शे में दो सीमाओं पर परिवर्तन कर दिया गया हैं। वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त तरमीम दुरस्त करवाना चाहते है, जिस हेतु यह आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। लिहाजा मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 877 रकबा 10.6432 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख नक्शे में बिना किसी सक्षम आदेश के

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तरमीम में किए गऐ बदलाव को दुरस्त कर पुनः वास्तविक भौतिक स्वरूप अनुसार तरमीम राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण का जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बाड़मेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक भूअ/2025/1510 दिनांक 09.06.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 877 रकबा 10.6432 हैक्टेयर भूमि का मौके पर राजस्व रेकर्ड एवं मौका पर कब्जे के अनुसार निरीक्षण किया गया। वादग्रस्त खसरा नम्बर 877 वक्त सेटलमेन्ट का खसरा है एवं इसमें आज दिन तक कोई तरमीम नहीं की गई है। ऑनलाईन नक्शा तैयार करते वक्त भूलवंश खसरा नम्बर 877 को राजस्व रेकर्ड में परिशिष्ट ''अ'' अनुसार दर्शाया गया है, जो लठ्ठा ट्रेस एवं मौके पर कब्जे से भिन्न है। मौका कब्जा, पुराना लठ्ठा ट्रेस एवं मोमी ट्रेस नक्शा में खसरा नम्बर 877 को परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार पाया गया। ऑनलाईन नक्शा में खसरा नम्बर 877 तथा डामर सड़क के बीच खसरा नम्बर 2519/1068 दर्शाया हुआ है, जबकि मौके पर खसरा नम्बर 877 एवं सड़क के बीच कोई खसरा नहीं है। खसरा नम्बर 2519/1068 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 2563/2111 का भाग है। मौके पर डामर सड़क के दूसरी तरफ खसरा नम्बर 2563/2111 तथा 2519/1068 का रकबा पूरा हो रहा है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 877 रकबा 10.6432 हैक्टेयर भूमि की तरमीम परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 877 रकबा 10.6432 हैक्टेयर भूमि की तरमीम परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार दुरूस्त किये जाने पर सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 877 वक्त सेटलमेन्ट का खसरा है एवं इसमें आज दिन तक कोई तरमीम नहीं की गई है। ऑनलाईन नक्शा तैयार करते वक्त भूलवंश खसरा नम्बर 877 को राजस्व रेकर्ड में परिशिष्ट ''अ'' अनुसार दर्शाया गया है, जो लठ्ठा ट्रेस एवं मौके पर कब्जे से भिन्न है। मौका कब्जा, पुराना लठ्ठा ट्रेस एवं मोमी ट्रेस नक्शा में खसरा नम्बर 877 को परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार पाया गया। ऑनलाईन नक्शा में खसरा नम्बर 877 तथा डामर सड़क के बीच खसरा नम्बर 2519/1068 दर्शाया हुआ है, जबकि मौके पर खसरा नम्बर 877 एवं सड़क के बीच कोई खसरा नहीं है। खसरा नम्बर 2519/1068 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 2563/2111 का भाग है। मौके पर डामर सड़क के दूसरी तरफ खसरा नम्बर 2563/2111 तथा 2519/1068 का रकबा पूरा हो रहा है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 877 रकबा 10.6432 हैक्टेयर भूमि की तरमीम परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार के

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

खेत खसरा नम्बर 877 रकबा 10.6432 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 877 रकबा 10.6432 हैक्टेयर अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमो राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 27.06.2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर